FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

प्रितमसिंह बनाम फूलचन्द वगै0

2024/843

म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 मु0नं0 593 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
)24	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री आनन्दी लाल सैनी एडवोकेट** हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी सुनवाई तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 535 कुल रकबा 0.38 हैक्ट0 राजस्व ग्राम भूदौली पटवार हल्का भूदौली तहसील नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई ... परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक **26.12.2024** को पेश हो। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.07.11 13:13:48 IST
Reason: SelfAttested

26/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 17/2/25
को पेश हों।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 23/4/25
को पेश हों।

23/4/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 18/6/25
को पेश हों।

15/5/25

वकील प्रार्थी पत्रावली पेश करने हेतु प्रा० पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रकरण को आगे नही चलाना चाहता है। अतः प्रा० पत्र डी. आई० खारिज फरमाने की कृपा करे। वकील प्रार्थी का प्रा०पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not V
Digitally signed by R
Yadav
Date: 2025.07.11 1
Reason: SelfAtteste